



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं./58/2020

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज (गया)।

पटना 14, दिनांक—

विषय — गया जिलान्तर्गत पेय जलापूर्ति के लिये गंगा जल उद्वह योजना के जल संचयन, जल शोधन संयन्त्र एवं पावर स्टेशन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 98.05 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-05/2020-FC दिनांक 06.06.2020

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 98.05 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सशर्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है। स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या—iii a and c) के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा रु० 1,88,13,187/- एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा रु० 37,42,687/- अर्थात् कुल 2,25,55,874 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख पचपन हजार आठ सौ चौहतर) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त है।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु० 287/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेंय होगा।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या—iv के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 98.05 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 6,13,79,300/- (रुपये छः करोड़ तैरह लाख उनासी हजार तीन सौ) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

3. उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रु० 8,39,35,174/- (रुपये आठ करोड़ उनचालीस लाख पैतीस हजार एक सौ चौहतर) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 1 से 27 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं./ 58 / 2020

दिनांक-

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया/वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं./ 58 / 2020 486 दिनांक- 09/6/2020

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।